

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 247/2025

घनश्याम पुत्र गोरधन, निवासी ग्राम सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज०)

---अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज०)

---रेस्पोजेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 30.05.2025 न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम घनश्याम अ. धा. 91 एल.आर. एक्ट मु.न. 242/2024


उपस्थित :-

1. श्री महेश जाखड, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश


दिनांक 17.12.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, चिड़ावा के आदेश दिनांक 30.05.2025 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि०अ० के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि०अ० पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा०प० दफा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाता है। अपीलान्त के अनुसार विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 30.05.2025 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बरान 292 रकबा 1.66 है० किस्म गैर मुमकिन सड़क में से 16 वर्गमीटर वाके ग्राम सुलताना, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं में अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखल करने हेतु व आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रुपये बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया है तथा बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध में अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं के द्वारा उक्त निर्णय दिनांकित 30.05.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 16.05.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्त गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त की तरफ से विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निवेदन किया गया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.05.2025 को अपीलान्त को बिना सुने अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये। अपीलान्त को जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि अपीलान्त की कयशुदा भूमि है जिस पर अपीलान्त के कय के रोज से ही कब्जा स्वामित्व अधिकार है। उक्त भूमि पर अपीलान्त काफी वर्षों से निर्माण कर आबाद है तथा अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। इस प्रकार अपीलान्त उक्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 30.05.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 30.05.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 30.05.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी


जिला कलक्टर झुंझुनूं

हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की है ना ही मौके की कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से पत्रावली पर ली गई है अगर पटवारी हल्का की सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में अपने केस को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्त को उनके हक में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 30.05.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 30.05.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अपीलान्त को जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि गैर मुमकिन सड़क है जिस पर पुख्ता सड़क बनी हुई है पुख्ता सड़क पर काफी समय से बहुतायत में आवागमन है। जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना संभव नहीं है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है तथा वर्तमान प्रकरण में अदालत हाजा ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं करते हुए दिनांक 30.05.2025 को निर्णय पारित किया है जो विरुद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्डुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम घनश्याम किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट, मु.नं. 242/2024 में पारित आदेश दिनांकित 30.05.2025 का मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्डुनू के द्वारा उक्त निर्णय दिनांकित 30.05.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 16.05.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्त गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त की तरफ से विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निवेदन किया गया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.05.2025 को अपीलान्त को बिना सुने अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये। अपीलान्त को जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि अपीलान्त की कयशुदा भूमि है जिस पर अपीलान्त के कय के रोज से ही कब्जा स्वामित्व अधिकार है। उक्त भूमि पर अपीलान्त काफी वर्षों से निर्माण कर आबाद है तथा अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। इस प्रकार अपीलान्त उक्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 30.05.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 30.05.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 30.05.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की है ना ही मौके की कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से पत्रावली पर ली गई है अगर पटवारी हल्का की सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में अपने केस को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्त को उनके हक में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 30.05.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 30.05.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अपीलान्त को जिस भूमि


जिता कलक्टर झुन्डुनू

पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि गैर मुमकिन सड़क है जिस पर पुख्ता सड़क बनी हुई है पुख्ता सड़क पर काफी समय से बहुतायत में आवागमन है। जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना संभव नहीं है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है तथा वर्तमान प्रकरण में अदालत हाजा ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं करते हुए दिनांक 30.05.2025 को निर्णय पारित किया है जो विरुद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम घनश्याम किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट, मु.नं. 242/2024 में पारित आदेश दिनांकित 30.05.2025 का मय खर्चा खारिज फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने गैर मुमकीन सड़क की भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्त ने गैर मुमकीन सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्त का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्त को ग्राम रोही मौजा सुलताना स्थित भूमि ख0न0 292 रकबा 1.66है0 किस्म गैर मुमकीन सड़क में से 16 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्त का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात् पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 30.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा मौके की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलेक्टर, झुंझुनूं